

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(पी एंड ए) I-2009/सीपीसी/एलई-4

नई दिल्ली, दिनांक 23.04.2009

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय : महिला रेल कर्मचारियों को चाइल्ड केयर अवकाश प्रदान करना।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का 12.12.2008 का पत्र सं. ई(पी एंड ए) I-2009/सीपीसी/एलई-4.

कुछ क्षेत्रीय रेलों द्वारा प्रश्न उठाया गया है कि क्या चाइल्ड केयर अवकाश प्रदान करने के प्रयोजन से अर्द्ध औसत वेतन अवकाश को औसत वेतन अवकाश की तरह अर्जित अवकाश माना जाएगा।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि चाइल्ड केयर अवकाश को प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अर्द्ध औसत वेतन अवकाश को अर्जित अवकाश के रूप में नहीं माना जाए। इस प्रकार, महिला रेल कर्मचारी को उसके खाते में अर्द्ध औसत वेतन अवकाश होने पर भी चाइल्ड केयर अवकाश प्रदान किया जा सकता है।

(चंद्र प्रकाश)

(चंद्र प्रकाश)

संयुक्त निदेशक स्था. (पी एंड ए)
रेलवे बोर्ड

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No.E(P&A)I-2009/CPC/LE-4

New Delhi, dt. 23-04-2009

The General Managers,
All Indian Railways and Production Units.

Sub: Grant of Child Care Leave to female railway servants.

Ref: Railway Board's letter No.E(P&A)I-2009/CPC/LE-4 dated
12.12.2008.

A doubt has been raised by some of the Zonal Railways as to whether LHAP is to be considered as Earned Leave like LAP for the purpose of grant of Child Care Leave.

2. It is clarified that LHAP is not to be considered as Earned leave for the purpose of grant of Child Care Leave. As such, a female railway servant may be granted CCL even in the case she has LHAP in her credit.


(Chander Parkash)
Joint Director Estt.(P&A),
Railway Board